फर्द अहकाम

हरिनारायण बनाम कृषि सोसायटी खटीकान

प्रार्थना पत्र संख्या 60 / 2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
0.07.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 1464 खसरा नम्बर 3632 रकबा 0.67 हैक्टयर बरानी तृतीय ग्राम बगरूकला तहसील सांगानेर मे स्थित है प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3632 के लगता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3631 रकबा 0.90 हैक्टयर बरानी तृतीय स्थित है । अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3632 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3631 दोनो के मध्य की सीमा लाईन टेडी मेडी गलत लाईन अंकित कर दी गयी है उक्त हाल सीमा लाईन गत राजस्व नक्शा ट्रेस मे अंकित सीमा लाईन के विपरित है उक्त त्रुटी अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकारियो व कर्मचारियो के कारण हुयी है जिसे पूर्ववत किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3632 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3631 दोनो के मध्य की सीमा लाईन गत राजस्व रिकार्ड नक्शा टेस के मुताबिक होना आवश्यक है और मौके पर वर्तमान मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 गत राजस्व नक्शा टेस के मुताबिक ही काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा गत नक्शा टेस के अनुसार हाल नक्शा टेस तैयार नही किया है पूर्ववत नक्शा टेस के मुताबिक हाल नक्शा टेस बनाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3632 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3631 दोनो के मध्य की सीमा लाईन का नक्शा टेस पूर्ववत नक्शा टेस के मुताबिक मौके अनुसार बनाया जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नही होने पर दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित [illegible] में निवेदन किया कि प्रार्थी की खाते[illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:37:56 IST
Reason: SelfAttested

हरिनारायण बनाम कृषि सोसायटी खटीकान

10.07.2024 प्रार्थना पत्र संख्या 60/2022

3632 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3631 दोनो के मध्य की सीमा लाईन का नक्शा टेस पूर्ववत नक्शा टेस के मुताबिक मौके अनुसार बनाया जावे ।

बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 उपतहसीलदार बगरू, तहसील सांगानेर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3632 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3631 दोनो के मध्य की सीमा लाईन का नक्शा ट्रेस का नियमानुसार जॉच कर पूर्ववत नक्शा ट्रेस के मुताबिक दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:37:56 IST
Reason: SelfAttested